राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांक:प.6(4)प्र0सु0/अनु–3/93 जयपुर, दिनांक 11.01.2019

:: परिपत्र ::

विषयः– राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियां।

कार्य विधि नियमों के अनुसार प्रशासनिक विभागों की सिफारिशों पर राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन/समितियों के कार्यकाल में वृद्धि/समितियों की सदस्यता में परिवर्तन/परिवर्धन तथा समितियों को भंग किये जाने के आदेश इस विभाग द्वारा जारी किये जाते है। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक प.6(4)प्र0सु0/अनु–3/93 दिनांक 07.10.2010 एवं अध्यतित परिपत्र दिनांक 02.06.2016 जारी किया गया। इसी प्रकार विभिन्न सुझावों/निर्देशों के परिपेक्ष्य मे समितियों के गठन के प्रस्ताव निम्न संशोधित प्रक्रिया एवं औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाएं जावेः

1. समितियों का गठनः

1.1 संबंधित प्रशासनिक विभाग समिति गठन के आदेश का प्रारूप सक्षम अधिकारी (उप सचिव/संयुक्त सचिव/उच्च स्तर) से अधिप्रमाणित कराके भिजवायें।

1.2 ऐसी समितियां जो विभाग स्तर पर ही गठित की जानी हो और उनमे उसी विभाग के अधिकारी सदस्य हो, गैर सरकारी (non-official) अथवा अन्य विभागों के अधिकारी उस समिति के सदस्य न हो, का गठन संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा ही किया जाएगा।

1.3 इस विभाग को समिति गठन हेतु प्रेषित प्रस्ताव में समिति का उद्देश्य, प्रस्तावित कार्य एवं मनोनयन का आधार भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे।

2. समिति सदस्यों का मनोनयन/सदस्यताः

2.1 जिन समितियों मे गैर सरकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारी सदस्य न हो केवल उसी विभाग के अधिकारी सदस्य हो, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा

गठन किया जावेंगा। ऐसे समिति गठन के प्रस्ताव इस विभाग को नही भिजवायें जावें।

2.2 समिति मे यदि अन्य विभागों के अधिकारी सदस्य रखना प्रस्तावित हो तो सदस्यता के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव एवं प्रभारी मंत्री की अनुमति ली जानी आवश्यक होगी।

2.3 समिति के गठन के बाद सरकारी सदस्यों के नामों में परिवर्तन अथवा सदस्यता मे वृद्धि के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव का अनुमोदन लिया जाना आवश्यक होगा।

2.4 समिति में गैर सरकारी सदस्यों (non-official) की सदस्यता के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री की अनुमति ली जानी आवश्यक होगी। गैर सरकारी सदस्य का पद रिक्त होने पर अथवा सदस्यता मे वृद्धि के प्रस्तावों पर पुनः विभागीय मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री की अनुमति लेकर गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन/सदस्यता में वृद्धि की जा सकेगी।

2.5 समिति मे माननीय सांसदों/विधायकों का मनोनयन करना हो तो संबंधित विभाग द्वारा गठन से पूर्व इस हेतु माननीय अध्यक्ष लोक सभा अथवा सभापति राज्य सभा एवं माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा जो भी लागू हो, से पूर्व अनुमति ली जानी आवश्यक होगी।

2.6 राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर/जिला स्तर पर गठित होने वाली ऐसी समितियां जिनमें भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किये जाने हो तो ऐसे प्रस्तावों पर भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग की अनुमति ली जानी आवश्यक होगी।

2.7 जब समिति का गठन भारत सरकार के दिशा–निर्देश /परिपत्र/आदेश इत्यादि पर होना हो, तब भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. समिति के कार्यकाल में वृद्धिः

3.1 समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय युक्तियुक्त एवं व्यावहारिक होना चाहिएं। समिति के कार्यकाल एवं कार्यकाल मे वृद्धि के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव एवं प्रभारी मंत्री का अनुमोदन लिया जाना आवश्यक होगा।

3.2 समिति भंग किये जाने के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव एवं प्रभारी मंत्री का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4. समिति गठन का प्रारूपः

4.1 प्रायः संबंधित विभाग द्वारा समिति के गठन से संबंधित मूल प्रत्रावली प्रशासनिक सुधार विभाग को भेज दी जाती है, पर संबंधित पत्रावली में समिति गठन के आदेश का अधिप्रमाणित प्रारूप नहीं लगाया जाता है। संबंधित विभाग द्वारा मूल पत्रावली प्रशासनिक सुधार विभाग को नहीं भेजी जाकर संबंधित पत्रावली में समिति गठन से संबंधित प्रस्ताव, जिस पर वांछित स्तर पर अनुमोदन लिया हुआ हो, की नोटशीट की छाया प्रति प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजें जावें। जिसमें समिति गठन के प्रारूप का आदेश किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया हुआ हो, भी साथ में भिजवाया जावे।

4.2 प्रस्तावित आदेशों में समिति का कार्यकाल स्पष्ट किया जाना चाहिए एवं यदि समिति का गठन स्थाई हो तो तद्नुसार विभागीय आदेश के प्रारूप में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

4.3 समिति गठन आदेश के प्रारूप में सदस्यों के नाम वरिष्ठता क्रम में (पृष्ठांकन सहित) अंकित किये जाने चाहिए।

5. यह पाया गया है कि विभिन्न कार्यो हेतु प्रत्येक विभाग अनेक समितियों का गठन अपने स्तर पर करते है, जिससे समितियों की संख्या प्रत्येक विभाग में अत्यधिक हो जाती है। भविष्य में यह सुनिश्चित किया जावे कि विभागों के विविध कार्यकलापो एवं विभिन्न मामलों की समितियों के गठन की समस्या को देखते हुए यदि समिति में अन्य विषयों के संबंध मे भी समावेश किया जाना हो तो संबंधित विभाग अपने स्तर पर समितियों के पुनर्गठन की कार्यवाही करें एवं यदि गैर सरकारी सदस्यों से संबंधित सदस्यों से संबंधित हो तो ही प्रस्ताव प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजे जावें।

6. यह पाया गया है कि जिला स्तर पर प्रत्येक मामलों में विभाग द्वारा एक विभाग से संबंधित अनेक समितियों का गठन वर्तमान में किया हुआ है। अतः संबंधित विभाग विभागीय मामलों से संबंधित विभिन्न समितियों का पुर्नगठन करें ताकि जिला स्तर पर समितियों की संख्या कम हो सकें।

7. जिन समितियों की कार्य अवधि पूर्ण हो गई है और कार्यकाल नही बढ़ा है, उनका विघटन निर्धारित कालावधि पूरी होने पर स्वतः माना जाएगा।

8. समिति के संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा विभागीय समितियों की आवश्यकता के बारे में प्रति दो वर्ष में सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाना आवश्यक है।

9. समिति गठन के आदेश जारी करने में अनावश्यक विलंब न हो, इस हेतु भविष्य मे सभी प्रशासनिक विभाग उपरोक्तानुसार औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् ही विभागीय राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय समितियों के गठन हेतु प्रस्ताव/पत्रावली प्रशासनिक सुधार विभाग को भेंजे।

(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–</u>

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव/वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
7. समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ, शासन सचिवालय।
8. रक्षित पत्रावली।

(रविशंकर श्रीवास्तव)
अति0 मुख्य सचिव